बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

संकल्प

संचिका संख्या : 11/वि1–08/2013...1530 पटना, दिनांक ....11...अगस्त, 2015

विषय :– नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनमान देने, उसके निर्धारण के संबंध में।

विभिन्न शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष संगठनों द्वारा नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनमान देने, उसके निर्धारण एवं सेवाशर्त्त की संरचना करने के संबंध में लम्बी अवधि से मांग की जा रही थी। सरकार द्वारा नियोजित प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण एवं उनके सेवाशर्त्त निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में नियोजित प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्दिष्ट नियत वेतन को वेतनमान में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

2. वर्तमान में नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष नियत वेतन पर कार्यरत हैं। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सभी नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को नियत वेतन के स्थान पर निम्नवत् अनुशंसित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है :–

2.1 **प्राथमिक शिक्षक**

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	वेतनमान्	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शिक्षक (अप्रशिक्षित)	62031	5200-20200	0
2	प्राथमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	245344	5200-20200	2000
3	प्राथमिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड अप्रशिक्षित)	14000	5200-20200	0
4	प्राथमिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित)	22739	5200-20200	2400
कुल शिक्षक (प्रकाशित विज्ञप्ति के विरूद्ध भविष्य में होनेवाली नियुक्ति सहित)		344114		

2.2 **माध्यमिक शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष**

क्र.स.	पदनाम	संख्या	वेतनमान्	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	माध्यमिक शिक्षक (अप्रशिक्षित)	4463	5200-20200	0
2	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	25038	5200-20200	2400
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	1900	5200-20200	2400
4	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (अप्रशिक्षित)	3058	5200-20200	0
5	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)	26774	5200-20200	2800
कुल शिक्षक (प्रकाशित विज्ञप्ति के विरूद्ध भविष्य में होनेवाली नियुक्ति सहित)		61233		

2.3 प्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को 01 जुलाई, 2015 से 5200–20200 के वेतनमान में 5200 का बेसिक वेतन देय होगा, जिस पर प्राथमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को 2000 रूपये, प्राथमिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित), माध्यमिक

शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को 2400 रूपये तथा उच्च माध्यमिक (प्रशिक्षित) शिक्षक को 2800 रूपये का ग्रेड पे देय होगा। पूर्व की गयी सेवा के लिए प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से देय होगी।

2.4 अप्रशिक्षित प्रारंभिक, अप्रशिक्षित माध्यमिक एवं अप्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 5200–20200 वेतनमान में 01 जुलाई, 2015 से 5200 का बेसिक वेतन देय होगा, परंतु ग्रेड पे देय नहीं होगा। अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित होने के उपरांत अनुशंसित वेतनमान का ग्रेड पे देय होगा। पूर्व में की गयी सेवा के लिए प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से देय होगी।

2.5 प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को समय–समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

2.6 अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 01 जुलाई 2015 को देय वेतन में कम से कम न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। जिन मामलों में 20 प्रतिशत से कम वृद्धि निर्धारित होगी, वैसे मामलों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए 100 के गुणक में राशि जोड़ी जायेगी, जिसे वैयक्तिक वेतन माना जायेगा। वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।

2.7 अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक (स्नातक ग्रेड) एवं अप्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षकों को विशेष भत्ता के रूप में 1000 रूपये प्रतिमाह तथा अप्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षकों को विशेष भत्ता के रूप में 1500 रूपये की राशि प्रतिमाह दी जायेगी, जिसपर मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। यह राशि इस उद्देश्य से दी जा रही है कि प्राथमिक, प्रखंड शिक्षक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के वेतन में पूर्व की भाँति अन्तर रहे।

2.8 नियोजित एवं भविष्य में नियोजित प्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान के साथ ग्रेड पे की देयता उनकी सेवा के दो वर्ष पूरा होने के उपरांत देय होगी। दो वर्ष की कालावधि में इन्हें अप्रशिक्षित प्रारंभिक, अप्रशिक्षित माध्यमिक, अप्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान देय होगा।

2.9 नियोजित अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उनकी प्रशिक्षण अवधि में उन्हें निर्दिष्ट वेतन देय होगा। इस संबंध में एवं अनुशंसित वेतनमान के संबंध में आवश्यकतानुसार अधिसूचित नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

2.10 शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष "U.T.I. retirement benefit pension fund" से अच्छादित होंगे।

3. उपरोक्त अनुशंसित वेतनमान को कार्यान्वित करने पर एक वर्ष में लगभग कुल वित्तीय भार निम्नवत् होगा–

अतिरिक्त वित्तीय भार विवरणी					
क्र० सं०	श्रेणी	लाभान्वित होने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या	वेतनमान के आधार पर कुल देय राशि	नियत वेतन पर वर्त्तमान देय राशि **कुल राशि**	कुल अतिरिक्त वित्तीय भार (राशि करोड़ में)
1	प्राथमिक शिक्षक	344114	6693.25	4173.21	2520.04
2	माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष	61233	1259.30	830.85	428.45
	कुल	405347	7952.55	5004.06	2948.49

4. कार्यरत नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को तथा भविष्य में नियोजित होनेवाले शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष को उपरोक्त वेतनमान देय होगा। निर्दिष्ट वेतनमान

का बजटीय प्रावधान संगत शीर्ष में किया जायेगा। वेतनमान के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग की सहमति से शिक्षा विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत किया जायेगा।

5. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत नियत वेतन के स्वीकृत पद अनुशंसित वेतनमान के पद में परिवर्तित हो जायेंगे। भविष्य में सेवानिवृति, मृत्यु एवं अन्य कारणों से रिक्त पद अनुशंसित वेतनमान के पद ही रहेंगे।

6. संविधान की 73वीं एवं 74वीं संशोधन के आलोक में जिला परिषद/नगर निकायों/पंचायत समितियों/पंचायतों की भूमिका को दृष्टिपथ में रखते हुए इन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों का नियोजन किया गया है।

प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त्त अन्तर्गत सेवा निरन्तरता, ऐच्छिक स्थानान्तरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्त्तो के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान अपर महाधिवक्ता इस समिति के सदस्य रहेंगे। यह समिति विस्तृत जाँच कर तीन माह के अन्दर अपनी अनुशंसा सरकार को समर्पित करेगी।

7. संकल्प के किसी बिन्दु पर विभेद होने की स्थिति में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत मूल आदेशों/परिपत्रों आदि का अवलोकन किया जा सकता है अथवा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से सम्पर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।

8. इस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/8/15

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 11/वि1–08/2013.1530 पटना, दिनांक ....11....अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

11/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 11/वि1–08/2013.1530 पटना, दिनांक .....11..अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्/ राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी नियोजन इकाईयों को अविलम्ब सूचित करा दें।

11/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 11/वि1–08/2013.1530 पटना, दिनांक ..11.....अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ संकल्प की दो प्रतियों एवं सी०डी० के साथ प्रेषित।

11/8/15

सरकार के संयुक्त सचिव।